B.M.A College Baheri, Darbhanga (L.N.M.U)
BA (Hons) Part-1 पेपर-1
Dr. [illegible] Kumar Sah
Date: 31,10,20
Deptt of Pol-Sci

सार्वभौम अथवा सार्वजनीक मताधिकार

सच्चे लोकतन्त्र से तात्पर्य यही है कि शासन के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहे। शासन, संगठन में प्रतिनिधियों को भेज कर ही यह सम्भव है। जिस पद्धति में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है उस पद्धति को मतदान कहते हैं, फिर मत देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। जब राज्य के सभी नागरिकों को एक निश्चित कर निर्धारित करके मताधिकार प्रदान किया जाता है तो वह 'सर्वभौम अथवा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार' कहलाता है। जो व्यक्ति इस अधिकार का उपयोग करने योग्य हैं उनको सामूहिक रूप में निर्वाचक कहलाते हैं।

प्रजातन्त्र शासन प्रणाली में मत देने का अधिकार सभी नागरीक स्त्रियों एवं पुरुषों को मिलना चाहिए किन्तु कहीं-कहीं पर मत देने का अधिकार सभी नागरीक केवल वयस्क पुरुषों को ही मिलता है ऐसी दशा में उस मताधिकार को पुरुष मताधिकार कहते हैं और स्त्रियों को मताधिकार मिल जाये तो उसको स्त्री मताधिकार के नाम से पुकारते हैं।

विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि केवल उन लोगों को ही मताधिकार प्रदान किया जाये जो समझदार हों और परिपक्व आयुवाले हों। इस विचार से भिन्न-भिन्न देशों में मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी पुरुषों की भिन्न-भिन्न आयु निर्धारित की गई है। भारत इंगलैण्ड तथा अमेरिका में 21 वर्ष, रूस में 18 वर्ष, नार्वे में 22 वर्ष, बेल्जियम में 25 वर्ष, जापान में वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने वालों की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में यह आयु 18 वर्ष हो गया है।

Scanned with CamScanner